न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी,
आई.ए.एस.

प्रा0प0 संख्याः—304 / 2022

सरकार जरिये कमल कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक मलसीसर।
— प्रार्थी

बनाम

श्री हनुमान प्रसाद, उ0मू0दु0 मलसीसर (प्राधिकार पत्र संख्या 1048 / 03) तहसील मलसीसर, झुंझुनूं, राजस्थान।
— अप्रार्थी

— — —

विषय—प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जब्त शुदा सामान राजसात करने बाबत।

— — —

उपस्थितः —

1. श्री कमल कुमार मीणा, विभागीय प्रतिनिधि — प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राहुल स्वामी, एडवोकेट — अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांकः— 22.09.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 12.09.2022 को समय 10:40 बजे मैं कमल कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक मलसीसर श्री हनुमान प्रसाद, उ0मू0दु0 मलसीसर के विरुद्ध दूरभाष पर प्राप्त शिकायत की जांच करने मौका स्थल उचित मूल्य की दुकान मलसीसर पहुंचा। मौके पर उचित मूल्य की दुकान बंद पाई गई। मौके से उचित मूल्य दुकानदार श्री हनुमान प्रसाद को उनके मोबाईल नम्बर 9829536665 पर सम्पर्क कर दुकान पर उपस्थित होने एवं दुकान का निरीक्षण करवाने हेतु कहा गया। श्री हनुमान प्रसाद ने स्वयं को झुंझुनूं होना बताया एवं बार—बार सम्पर्क के पश्चात् भी उपस्थित नहीं हुए व जांच में असहयोग किया। उचित मूल्य दुकानदार के स्वयं उपस्थित नहीं होने तथा शिकायत कालाबाजारी / गबन जैसी गंभीर प्रकृति की होने के कारण मौके से श्री साधु राम जाट, उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर को दूरभाष पर सूचित किया गया। श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर के निर्देश पर श्री कमलदीप पूनियां, तहसीलदार मलसीसर व श्री होशियार सिंह, पटवारी मलसीसर एवं सुरक्षा की दृष्टि से श्री दीपक एवं सुनित कुमार, कॉन्सटेबल पुलिस थाना मलसीसर मौके पर उपस्थित हुए। सहयोग हेतु मौके पर नजदीकी उ0मू0दु0 श्री याकूब अली, श्री मूलचन्द एवं श्री कन्हैयालाल, मलसीसर को बुलाया गया। स्टॉक के खुर्द बुर्द होने की आशंका एवं शिकायत की प्रकृति को देखते हुए ताला तोड़ने हेतु मौके पर श्री दाराराम पुत्र श्री बीरबल राम को बुलाया जाकर उचित मूल्य दुकान का ताला तोड़कर उपरोक्त समस्त की उपस्थिति में उचित मूल्य दुकान का भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन पर दुकान में एफ0सी0आई0 मार्का वाले कु[illegible]टिक कट्टा एवं कुछ खुला गेहूं बिखरा पाया गया। उक्त 44 कट्टों की [illegible] प्रत्येक कट्टे पर क्रमांक नमूना (DSO 1,2,3-----) अंकित किया जाकर हस्ताक्षर किए गए एवं [illegible] गेहूं को समेटकर तोला गया। तोलने पर उक्त 44 कट्टों एवं खुले गेहूं का कुल [illegible] 2247.06 किग्रा पाया गया [illegible] ऑनलाईन रिकॉर्ड अनुसार श्री हनुमान प्रसाद को जारी पोस कोड 14417 में [illegible] निरीक्षण गेहूं स्टॉक [illegible] किग्रा एवं एन.एफ.एस.ए. अतिरिक्त गेहूं 67 किग्रा कुल 94 किग्रा (27+67) दर्ज पाया। इस प्रकार भौतिक सत्यापन पर रिकॉर्ड में दर्ज गेहूं के मुकाबले 2153.06 किग्रा गेहूं (2247.06—94) मय बारदाना अधिक पाया गया। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.15 16:41:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

(8)

स्टॉक का पोस मशीन में दर्ज मात्रा से अधिक पाया जाने पर 42 कट्टे एवं खुला गेहूं कुल वजन 2153.06 किग्रा मय बारदाना जब्त किया गया। जब्त किए गेहूं मय बारदाना निकट उ0मू0दु0 श्री मूलचन्द मलसीसर (पोस कोड 14385) को सुपुर्दगी में दिया गया। शेष 94 किग्रा गेहूं जो कि पोस में दर्ज है, को उचित मूल्य दुकान में रखकर सुरक्षा की दृष्टि से उचित मूल्य दुकान को सील किया गया। इस प्रकार शिकायत जांच में उपभोक्ताओं को गुमराह करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेंहू कालाबाजारी/गबन के लिए भण्डारण पाया जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की शर्त 11(3), राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 व इस आदेश के अन्तर्गत जारी, प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 4,17 (ग) का उल्लंघन है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 42 कट्टे एवं खुला गेहूं कुल वजन 2153.06 किग्रा मय बारदाना को राजसात करने की कृपा करें। प्रकरण में अंतिम निर्णय होने में समय लगने की संभावना हैं तथा गेहूं खराब होने वाली खाद्यान्न सामग्री हैं। अतः जब्त गेहूं के अंतरिम निस्तारण के आदेश जारी करने की भी कृपा करें।

बहस सुनी गयी। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 12.09.2022 को समय 10:40 बजे मैं कमल कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक मलसीसर श्री हनुमान प्रसाद, उ0मू0दु0 मलसीसर के विरुद्ध दूरभाष पर प्राप्त शिकायत की जांच करने मौका स्थल उचित मूल्य की दुकान मलसीसर पहुंचा। मौके पर उचित मूल्य की दुकान बंद पाई गई। मौके से उचित मूल्य दुकानदार श्री हनुमान प्रसाद को उनके मोबाईल नम्बर 9829536665 पर सम्पर्क कर दुकान पर उपस्थित होने एवं दुकान का निरीक्षण करवाने हेतु कहा गया। श्री हनुमान प्रसाद ने स्वयं को झुंझुनूं होना बताया एवं बार–बार सम्पर्क के पश्चात् भी उपस्थित नहीं हुए व जांच में असहयोग किया। उचित मूल्य दुकानदार के स्वयं उपस्थित नहीं होने तथा शिकायत कालाबाजारी/गबन जैसी गंभीर प्रकृति की होने के कारण मौके से श्री साधु राम जाट, उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर को दूरभाष पर सूचित किया गया। श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर के निर्देश पर श्री कमलदीप पूनियां, तहसीलदार मलसीसर व श्री होशियार सिंह, पटवारी मलसीसर एवं सुरक्षा की दृष्टि से श्री दीपक एवं सुनित कुमार, कॉन्सटेबल पुलिस थाना मलसीसर मौके पर उपस्थित हुए। सहयोग हेतु मौके पर नजदीकी उ0मू0दु0 श्री याकूब अली, श्री मूलचन्द एवं श्री कन्हैयालाल, मलसीसर को बुलाया गया। स्टॉक के खुर्द बुर्द होने की आशंका एवं शिकायत की प्रकृति को देखते हुए ताला तोड़ने हेतु मौके पर श्री दाराराम पुत्र श्री बीरबल राम को बुलाया जाकर उचित मूल्य दुकान का ताला तोड़कर उपरोक्त समस्त की उपस्थिति में उचित मूल्य दुकान का भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन पर दुकान में एफ0सी0आई0 मार्का वाले कुल 44 कट्टे प्लास्टिक कट्टा एवं कुछ खुला गेहूं बिखरा पाया गया। उक्त 44 कट्टों की वजन तोल पट्टी बनाई जाकर प्रत्येक कट्टे पर क्रमांक नमूना (DSO 1,2,3-----) अंकित किया जाकर हस्ताक्षर किए गए एवं बिखरे गेहूं को समेटकर तोला गया। तोलने पर उक्त 44 कट्टों एवं खुले गेहूं का कुल वजन मय बारदाना 2247.06 किग्रा पाया गया। ऑनलाईन रिकॉर्ड अनुसार श्री हनुमान प्रसाद को जारी पोस कोड 14417 में [illegible] गेहूं स्टॉक रेगूलर 27 किग्रा एवं एन.एफ.एस.ए. अतिरिक्त गेहूं 67 किग्रा कुल 94 किग्रा (2247.06 [illegible]) पाया। इस प्रकार भौतिक सत्यापन पर रिकॉर्ड में दर्ज गेहूं के मुकाबले 2153.06 किग्रा गेहूं (2247.06–94) मय बारदाना अधिक पाया गया। इस स्टॉक का पोस मशीन में दर्ज मात्रा से अधिक पाया जाने पर 42 कट्टे एवं खुला गेहूं कुल वजन 2153.06 किग्रा मय बारदाना जब्त किया गया। जब्त किए गेहूं मय बारदाना निकट उ0मू0दु0 श्री मूलचन्द मलसीसर (पोस कोड 14385) को सुपुर्दगी में दिया गया। शेष 94 किग्रा गेहूं जो कि पोस में दर्ज है, को उचित मूल्य दुकान में रखकर सुरक्षा की दृष्टि से उचित मूल्य दुकान को सील किया गया। इस प्रकार शिकायत जांच में

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.15 16:41:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनूं

(6)

उपभोक्ताओं को गुमराह करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेंहू कालाबाजारी/गबन के लिए भण्डारण पाया जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की शर्त 11(3), राजस्थान खाद्याान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 व इस आदेश के अन्तर्गत जारी, प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 4,17 (ग) का उल्लंघन है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्तशुदा 42 कट्टे एवं खुला गेहूं कुल वजन 2153.06 किग्रा मय बारदाना को राजसात करने की कृपा करें। प्रकरण में अंतिम निर्णय होने में समय लगने की संभावना हैं तथा गेहूं खराब होने वाली खाद्यान्न सामग्री हैं। अतः जब्त गेहूं के अंतरिम निस्तारण के आदेश जारी करने की भी कृपा करें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी ने विभागीय प्रतिनिधि के कथनों का विरोध करते हुए लिखित जबाब पेश करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी दिनांक 12.09.2022 को बीमार था जिसकी राजकीय बी0डी0के0 अस्पताल के उपचार की पर्ची प्रस्तुत है। प्रार्थी मजबूरीबश मौके पर निरीक्षण दल के समक्ष मौके पर उपस्थित नही हो सका। प्रार्थी के असहयोग करने जैसी कोई बात नही है। प्रार्थी के विरूद्व कालाबाजारी एवं गबन की शिकायत रंजिशवश की गई है। वर्तमान मे देश मे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम लागू है जिसके तहत कोई भी उपभेक्ता कहीं से भी राशन ले सकता है। मेरे द्वारा राशन डीलर झुंझुनूं के परिवार के सदस्य का निधन हो जाने से उसके कार्डधारकों को राशन वितरण किया है। प्रार्थी पर लगाये गये आरोप निराधार है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि ऑनलाईन रिकॉर्ड के अनुसार श्री हनुमान प्रसाद को जारी पोस कोड 14417 में वक्त निरीक्षण गेहूं स्टॉक रेगूलर 27 किग्रा एवं एन.एफ.एस.ए. अतिरिक्त गेहूं 67 किग्रा कुल 94 किग्रा (27+67) दर्ज था। इस प्रकार भौतिक सत्यापन पर रिकॉर्ड में दर्ज गेहूं के मुकाबले 2153.06 किग्रा गेहूं (2247.06–94) मय बारदाना अधिक पाया गया। इस स्टॉक का पोस मशीन में दर्ज मात्रा से अधिक पाया जाने पर 42 कट्टे एवं खुला गेहूं कुल वजन 2153.06 किग्रा मय बारदाना नियमानुसार जब्त किया गया। इस प्रकार प्रार्थी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की शर्त 11 (3), राजस्थान खाद्याान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 व इस आदेश के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 4, 17 (ग) का उल्लंघन किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 42 कट्टे एवं खुला गेहूं कुल वजन 2153.06 किग्रा मय बारदाना को राजसात करने के आदेश दिये जाकर जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं को आदेश दिये जाते है कि उक्त जब्तशुदा 42 कट्टे एवं खुला गेहूं कुल वजन 2153.06 किग्रा मय बारदाना की खुले बाजार मे निलामी कर राशि राजकोष मे जमा करावे। आदेश की प्रति अदालत मातहत को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार होकर बाद तकमील ... दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.09.2022 ...

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.15 15:41:22 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं